कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

सतपुड़ा भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)

क्रमांक: E/**475557/1/1123006/2026** दिनांक: **11-09-2026**

// आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शिका शैक्षणिक सत्र **2026-27** के अनुक्रम में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए अतिरिक्त कॉलेज लेवल काउंसलिंग (CLC) चरण आयोजित किए जाने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक E/**475557/1/1123006/2026**, दिनांक **20.8.2026** के माध्यम से उक्त प्रक्रिया दिनांक **21** अगस्त **2026** से **31** अगस्त **2026** तक आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए थे।

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. नं. **31783/2026** में पारित निर्णय आदेश दिनांक **10.9.2026** के अनुक्रम में विद्यार्थियों को रिक्त सीटों पर प्रवेश का अतिरिक्त अवसर प्रदान करने हेतु अतिरिक्त CLC चरण की अवधि में वृद्धि करते हुए अब उक्त प्रक्रिया दिनांक **12.09.2026** से **16.09.2026** तक आयोजित की जाएगी।

उक्त प्रक्रिया के संबंध में पूर्व आदेश में उल्लेखित अन्य समस्त निर्देश एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

अतः समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक **12.09.2026** से **16.09.2026** तक उपलब्ध रिक्त सीटों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश की कार्यवाही सुनिश्चित करें तथा विद्यार्थियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

16 सितम्बर **2026** को निर्धारित समय के पश्चात् प्रवेश मान्य नहीं होगा।

Digitally signed by
Prabal Sepaha
Date: 11-09-2026
19:09:47

(प्रबल सिपाहा)

आयुक्त

उच्च शिक्षा म.प्र.

प्रतिलिपि-

1-विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।

2-स्टाफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल

3-कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश

4- समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा म.प्र.

5-प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय म.प्र.

आयुक्त

उच्च शिक्षा म.प्र.